

धारा 10 : इनपुट कर प्रत्यय का अंतरण

केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन शोध्य कर के संदाय के लिए संघ राज्यक्षेत्र कर के ऐसे इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग पर, जो केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन दी गई विधिमान्य विवरणी में उपदर्शित है, संघ राज्यक्षेत्र कर के रूप में संगृहीत रकम को, इस प्रकार उपयोग किए गए ऐसे प्रत्यय के बराबर रकम को घटा दिया जाएगा और केन्द्रीय सरकार ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए, संघ राज्यक्षेत्र कर खाते से इस प्रकार घटाई गई रकम के बराबर रकम का एकीकृत कर खाते में अंतरण करेगी।
